[2020] 3 उम. नि. प. 114

# सहायक इंजीनियर (मंडल-1), अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. और एक अन्य

बनाम

# रहमतुल्लाह खान उर्फ रहमजुल्ला

[2020 की सिविल अपील सं. 1672-1673]

18 फरवरी, 2020

**न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति (सुश्री) इंदु मल्होत्रा**

**विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) – धारा 56 – विद्युत प्रदाय के प्रभारों के संदाय के व्यतिक्रम पर प्रदाय का वियोजन – अनुज्ञप्तिधारी कंपनी द्वारा उपभोक्ता को गलत टैरिफ कोड के अनुसार बिल भेजा जाना – गलती का पता चलने पर अतिरिक्त/अनुपरक मांग किया जाना – परिसीमा की अवधि – उपधारा (2) में प्रयुक्त 'पहली बार देय' शब्दों का अर्थ – अनुज्ञप्तिधारी कंपनी द्वारा जिस तारीख को गलती का पता चलता है, वह तारीख ऐसी मांग के 'पहली बार देय' होना समझी जाएगी और कंपनी द्वारा उस तारीख से दो वर्ष की परिसीमा की अवधि के पश्चात् की गई अनुपूरक मांग के संदाय में व्यतिक्रम होने पर उपभोक्ता के विद्युत के प्रदाय को बंद नहीं किया जा सकता है किंतु विधि के अधीन कंपनी अन्य तरीके से वसूली करने के लिए निर्बंधित नहीं है ।**

इस अपील के तथ्यों के अनुसार, विद्युत प्रदाय करने वाली अनुज्ञप्तिधारी कंपनी द्वारा प्रत्यर्थी सहित अन्य कुछ उपभोक्ताओं को जुलाई, 2009 से सितंबर, 2011 की अवधि के दौरान गलत टैरिफ कोड के अनुसार बिल भेजे गए थे । आंतरिक संपरीक्षा के दौरान गलती का पता चलने पर अनुज्ञप्तिधारी कंपनी ने तारीख 18 मार्च, 2014 को जुलाई, 2009 से सितंबर, 2011 की पिछली अवधि के लिए बिजली की खपत के लिए अतिरिक्त मांग करते हुए प्रत्यर्थी सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को एक कारण बताओ सूचना जारी की । सूचना में यह

उल्लेख किया गया था कि रकम विभाग द्वारा की गई आंतरिक संपरीक्षा को दृष्टिगत करते हुए संदेय है । अनुज्ञप्तिधारी कंपनी द्वारा तारीख 25 मई, 2015 को प्रत्यर्थी से जुलाई, 2009 से सितंबर, 2011 की अवधि के लिए टैरिफ कोड 9400 के अधीन 29,604/- रुपए के संदाय की मांग करते हुए एक बिल भेजा गया । प्रत्यर्थी ने उक्त मांग से व्यथित होकर जिला उपभोक्ता न्यायालय, अजमेर के समक्ष एक उपभोक्ता शिकायत फाइल की । जिला न्यायालय ने तारीख 21 जून, 2016 के आदेश द्वारा उपभोक्ता शिकायत मंजूर की और यह अभिनिर्धारित किया कि अतिरिक्त मांग काल-वर्जित है । उसके पश्चात्, राज्य कमीशन ने तारीख 30 मई, 2017 के आदेश द्वारा अनुज्ञप्तिधारी कंपनी की अपील मंजूर की और जिला न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश को अपास्त कर दिया । प्रत्यर्थी द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष फाइल की गई पुनरीक्षण याचिका में राज्य आयोग द्वारा पारित किए गए आदेश को अपास्त कर दिया गया । राष्ट्रीय आयोग ने यह अभिनिर्धारित किया कि अतिरिक्त मांग विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56(2) के अधीन परिसीमा द्वारा वर्जित थी । अनुज्ञप्तिधारी कंपनी ने राष्ट्रीय आयोग के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की । उच्चतम न्यायालय के विचार के लिए ये प्रश्न उद्भूत हुए कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56(2) में "पहली बार देय" पद का माने जाने वाला अर्थ क्या है ? गलती के कारण लागू किए गए गलत बिलिंग टैरिफ के मामले में रकम "पहली बार देय" कब बनेगी ? क्या गलती की दशा में अनुज्ञप्तिधारी कंपनी द्वारा 2 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् विद्युत प्रदाय को काटने का आश्रय लिया जा सकता है ? उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलों का निपटारा करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 की उपधारा (2) में एक सर्वोपरि खंड के द्वारा यह उपबंध किया गया है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी किसी उपभोक्ता से शोध्य कोई राशि धारा 56 के अधीन उस तारीख से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् तब तक वसूल नहीं की जाएगी जब ऐसी राशि "पहली बार देय" हुई थी, जब तक कि ऐसी राशि प्रदाय की गई विद्युत के प्रभारों के बकाया के रूप में लगातार वसूलनीय दर्शित न की गई हो और

अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के विद्युत के प्रदाय को बंद नहीं करेगा । संदाय करने का दायित्व विद्युत का उपभोग करने पर उद्भूत होता है । संदाय करने की बाध्यता तब उद्भूत होगी जब संदत्त किए जाने वाले प्रभारों की गणना करते हुए अनुप्तिधारी कंपनी द्वारा बिल जारी किया जाता है । विद्युत के प्रभार "पहली बार देय" केवल तब होंगे जब उपभोक्ता को बिल जारी किया जाता है, यद्यपि संदाय करने का दायित्व विद्युत का उपभोग करने पर उद्भूत हो सकता है । दो वर्ष की परिसीमा की अवधि उस तारीख से आरंभ होगी जिस तारीख को विद्युत प्रभार धारा 56 की उपधारा (2) के अधीन "पहली बार देय" हुए थे । यह उपबंध उपभोक्ता द्वारा शोध्यों का संदाय न करने के कारण विद्युत प्रदाय को काटने के अनुज्ञप्तिधारी कंपनी के अधिकार को तब तक निर्बंधित करता है, जब तक कि ऐसी राशि पिछली अवधि के लिए प्रदाय की गई विद्युत के बकायों के रूप में भेजे गए बिलों में लगातार वसूलनीय दर्शित न की गई हो । यदि अनुज्ञप्तिधारी कंपनी को राशि के "प्रथम बार देय" होने के दो वर्ष के पश्चात् की परिसीमा अवधि की समाप्ति के पश्चात् विद्युत प्रदाय को काटा जाना अनुज्ञात किया जाए, तो इससे धारा 56(2) का उद्देश्य विफल हो जाएगा । तथापि, धारा 56(2) अनुज्ञप्तिधारी कंपनी को दो वर्ष की परिसीमा अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई अनुपूरक मांग करने से विवर्जित नहीं करती है । इस धारा में शोध्यों का संदाय न करने के कारण दो वर्ष की परिसीमा की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत के प्रदाय को काटने के अधिकार से निर्बंधित किया गया है न कि इसमें वसूली के अन्य साधनों को निर्बंधित किया गया है जो अनुज्ञप्तिधारी कंपनी द्वारा अनुपूरक मांग की वसूली के लिए आरंभ किए जा सकते हैं । अनुज्ञप्तिधारी कंपनी ने जुलाई, 2009 से सितंबर, 2011 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त मांग तारीख 18 मार्च, 2014 को की थी । अनुज्ञप्तिधारी कंपनी को गलत टैरिफ कोड के अधीन बिल भेजने की गलती का पता तारीख 18 मार्च, 2014 को चला था । धारा 56(2) के अधीन परिसीमा की अवधि तब तक पहले ही समाप्त हो गई थी । धारा 56(2) में किसी गलती या सद्भावी त्रुटि के मामले में परिसीमा की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अतिरिक्त या अनुपूरक मांग करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी कंपनी को विवर्जित नहीं किया गया है । तथापि, इसमें

अनुज्ञप्तिधारी कंपनी को अतिरिक्त मांग की वसूली के लिए विद्युत प्रदाय को बंद करने के प्रपीड़क उपाय का आश्रय लेने के लिए सशक्त नहीं किया गया है । परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 17(1)(ग) के अनुसार, किसी गलती की दशा में परिसीमा अवधि उस तारीख से चलना आरंभ होती है जब पहली बार गलती का पता चलता है । (पैरा 5.5, 5.6, 6, 6.4, 7 और 8)

**निर्दिष्ट निर्णय**

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2010] | (2010) 10 एस. सी. सी. 321 : **टाटा पावर्स** बनाम **रिलायंस एनर्जी** ; | 5 |
| [2002] | (2002) 5 एस. सी. सी. 203 : **आंध्र प्रदेश राज्य** बनाम **नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि.** ; | 5.1 |
| [1997] | (1997) 9 एस. सी. सी. 465 : **स्वास्तिक इंडस्ट्रीज** बनाम **महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड** | 6.2 |
| [1989] | (1989) 4 एस. सी. सी. 1 : **महाबीर किशोर और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; | 8 |
| [1987] | [1987] 2 उम. नि. प. 143 = (1986) 4 एस. सी. सी. 447 : **चंदावरकर सीतारत्नराव** बनाम **आशालता एस. गुरम** । | 5.5 |

**अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2020 की सिविल अपील सं. 1672. (इसके साथ 2020 की सिविल अपील सं. 1673)**

2017 की पुनरीक्षण याचिका सं. 2739 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्ली के तारीख 28 मई, 2018 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

**हाजिर होने वाले पक्षकारों की ओर से**

सर्वश्री पुनीत जैन, (सुश्री) चरिस्टी जैन, हर्ष जैन, हर्षित खंडुजा, पंकज शर्मा, अभिनव देशवाल, (सुश्री) प्रतिभा जैन, रवि भरुका, (सुश्री) और जस्टिन जार्ज

देवाशीष भरुका (न्यायमित्र)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (सुश्री) इंदु मल्होत्रा ने दिया ।

**न्या. (सुश्री) मल्होत्रा** – विलंब के लिए माफी दी गई । इजाजत दी गई ।

(क) इस सिविल अपील में हमारे विचार के लिए जो विवाद्यक उद्भूत हुए हैं वे ये हैं :–

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56(2) में "पहली बार देय" पद का माने जाने वाला अर्थ क्या है ?

(ग) गलती के कारण लागू किए गए गलत बिलिंग टैरिफ के मामले में रकम "पहली बार देय" कब बनेगी ?

(घ) क्या गलती की दशा में अनुज्ञप्तिधारी कंपनी द्वारा 2 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् विद्युत प्रदाय को काटने का आश्रय लिया जा सकता है ?

1. वह तथ्यात्मक पृष्ठभूमि जिसमें पूर्वोक्त विवाद्यक हमारे विचार के लिए उद्भूत हुए हैं ये हैं –

1.1 वर्तमान मामले में अनुज्ञप्तिधारी कंपनी (इस अपील में अपीलार्थी) द्वारा प्रत्यर्थी के साथ-साथ अन्य उपभोक्ताओं को जुलाई, 2009 से सितंबर, 2011 की अवधि के लिए टैरिफ कोड 4400 के अधीन 1.65 रुपए प्रति युनिट की दर से बिल भेजे गए थे ।

1.2 आंतरिक संपरीक्षा दल द्वारा की गई नियमित संपरीक्षा के दौरान यह पता चला कि प्रत्यर्थी सहित 52 मामलों में टैरिफ कोड 9400, जिसके अधीन विहित टैरिफ दर 2.10 रुपए प्रति युनिट थी के बजाय गलत टैरिफ कोड 4400 के अधीन बिल भेजे गए थे ।

1.3 अनुज्ञप्तिधारी कंपनी ने तारीख 18 मार्च, 2014 को जुलाई, 2009 से सितंबर, 2011 की पिछली अवधि के लिए बिजली की खपत के लिए अतिरिक्त मांग करते हुए प्रत्यर्थी सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को एक कारण बताओ सूचना जारी की । सूचना में यह उल्लेख किया गया था कि रकम विभाग द्वारा की गई आंतरिक संपरीक्षा को दृष्टिगत करते हुए संदेय है ।

1.4 अनुज्ञप्तिधारी कंपनी द्वारा तारीख 25 मई, 2015 को प्रत्यर्थी से जुलाई, 2009 से सितंबर, 2011 की अवधि के लिए टैरिफ कोड 9400 के अधीन 29,604/- रुपए के संदाय की मांग करते हुए एक बिल भेजा गया ।

1.5 प्रत्यर्थी ने उक्त मांग से व्यथित होकर जिला उपभोक्ता न्यायालय, अजमेर के समक्ष एक उपभोक्ता शिकायत फाइल की । जिला न्यायालय ने तारीख 21 जून, 2016 के आदेश द्वारा उपभोक्ता शिकायत मंजूर की और यह अभिनिर्धारित किया कि अतिरिक्त मांग काल-वर्जित है ।

1.6 उसके पश्चात्, राज्य कमीशन ने तारीख 30 मई, 2017 के आदेश द्वारा अनुज्ञप्तिधारी कंपनी की अपील मंजूर की और जिला न्यायालय द्वारा पारित किए गए तारीख 21 जून, 2016 के आदेश को अपास्त कर दिया ।

1.7 प्रत्यर्थी द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष फाइल की गई पुनरीक्षण याचिका में राज्य आयोग द्वारा पारित किए गए आदेश को अपास्त कर दिया गया । राष्ट्रीय आयोग ने यह अभिनिर्धारित किया कि अतिरिक्त मांग विद्युत अधिनियम, 2003 (जिसे इसमें आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 56(2) के अधीन परिसीमा द्वारा वर्जित थी ।

1.8 अनुज्ञप्तिधारी कंपनी ने आयोग द्वारा तारीख 28 मई, 2018 को पारित किए गए अंतिम निर्णय को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान सिविल अपीलें फाइल की हैं ।

1.9 इस न्यायालय ने तारीख 5 मार्च, 2019 के आदेश द्वारा श्री

देवाशीष भरुका को अवधारण के लिए उठाए गए विवाद्यकों पर इस न्यायालय की सहायता करने के लिए न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया । यह भी निदेश दिया गया कि अपीलार्थी-निगम इस मामले में प्रत्यर्थी से अतिरिक्त मांग की वसूली करने का हकदार नहीं होगा और केवल विधि के प्रश्नों का अवधारण किया जाएगा ।

2. हमने अपीलार्थी-निगम की ओर से विद्वान् काउंसेल को तथा विद्वान् न्यायमित्र को सुना ।

3. श्री पुनीत जैन ने अनुप्तिधारी कंपनी का प्रतिनिधित्व किया और यह दलील दी कि अनुज्ञप्तिधारी कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 56(1) के अधीन विद्युत प्रदाय को काटने की शक्ति का तब प्रयोग किया जा सकता है जब कोई उपभोक्ता विद्युत के प्रभारों या उसके द्वारा शोध्य और संदेय किन्हीं अन्य राशियों का संदाय करने में उपेक्षा करता है । किसी उपभोक्ता द्वारा "देय राशि" का संदाय करने में उपेक्षा करने के लिए आवश्यक रूप से यह अपेक्षित है कि उपभोक्ता से देय रकम की "मांग" की जानी चाहिए, जिसको उससे अनुबंधित अवधि के भीतर संदाय करने की अपेक्षा की जाती है । यदि मांग का संदाय अनुबंधित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तब धारा 56(1) के अधीन विद्युत को बंद करने का आश्रय लिया जा सकता है ।

3.1 यह भी दलील दी गई कि जब कोई बिल भेजा जाता है या मांग प्रस्तुत की जाती है और उसे उपभोक्ता द्वारा विवादग्रस्त किया जाता है, तो वह अधिनियम की धारा 42(5) या 42(6) द्वारा यथा उपबंधित प्राधिकारियों के समक्ष विवाद को उठा सकता है, या ऐसे अन्य उपचारों का उपभोग कर सकता है जो विधि में उपलब्ध हों, जैसे कि घोषणा और व्यादेश के लिए वाद फाइल किया जाना, उपभोक्ता न्यायालय के समक्ष उपभोक्ता विवाद फाइल किया जाना, माध्यस्थम् यदि शासित करने वाले करार द्वारा उपबंधित किया गया हो ।

3.2 अधिनियम की धारा 56(1) में अनुज्ञप्तिधारी को संदाय में व्यतिक्रम के लिए विद्युत के प्रदाय को काटने की शक्ति प्रदत्त की गई है और उन शर्तों का उपबंध किया गया है जब ऐसी शक्ति का अवलंब लिया जा सकता है, ऐसी शक्ति के प्रयोग की प्रक्रिया और रीति, वह

अवधि जिसके लिए ऐसी शक्ति प्रभावी रह सकती है और वे परिस्थितियां जिनके अधीन ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है ।

3.3 धारा 56 की उपधारा (2) संदाय में व्यतिक्रम करने पर प्रदाय के वियोजन के उपचार को वहां वर्जित किया गया है, यदि उपभोक्ता मांग की गई रकम को अभ्यापति के अधीन जमा कर देता है, या यदि मांग, राशि के "पहली बार देय" होने के 2 वर्ष पश्चात् की गई है, यद्यपि ऐसी मांग प्रभारों के बकाया के रूप में लगातार वसूलनीय दर्शायी गई हो ।

3.4 "देय" शब्द धारा 56(1) तथा धारा 56(2) में प्रयुक्त किया गया है । "देय" शब्द उस रकम के प्रतिनिर्देश करता है जिसके लिए बिल के द्वारा मांग की जाती है । अत: "पहली बार देय" पद से विवक्षित होगा जब मांग पहली बार की जाती है । अनुज्ञप्तिधारी कंपनी द्वारा भेजा गया बिल धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति के प्रयोग करने का आरंभिक बिंदु होगा ।

3.5 परिसीमा का आरंभिक बिंदु उस तारीख से होगा जब अनुज्ञप्तिधारी कंपनी द्वारा बिल भेजा जाता है । परिसीमा का वर्जन केवल वियोजन करने की शक्ति के प्रयोग पर लागू है । धारा 56 की उपधारा (2) के अनुसार परिसीमा का वर्जन उस तारीख से दो वर्ष होगा जब पहला बिल भेजा जाता है ।

3.6 यह भी दलील दी गई कि किसी गलती की दशा में, परिसीमा का आरंभिक बिंदु वह तारीख होनी चाहिए जब गलती का पता चलता है । वर्तमान मामले में तारीख 18 मार्च, 2014 को की गई नियमित आंतरिक संपरीक्षा के दौरान यह पता चला था कि प्रत्यर्थी सहित 52 मामलों में गलती हुई है, क्योंकि बिल गलत टैरिफ कोड के अधीन भेजे गए थे । अपीलार्थी-निगम ने अतिरिक्त मांग तारीख 25 मई, 2015 को अर्थात् गलती का पता चलने के दो वर्ष के भीतर की थी ।

4. विद्वान् न्यायमित्र ने यह दलील दी कि अधिनियम की धारा

56(1) अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत के प्रदाय का वियोजन करने के लिए सशक्त करती है यदि उपभोक्ता अपने देय का संदाय करने में उपेक्षा करता है । वियोजन केवल तब किया जाएगा जब उपभोक्ता ने विद्युत का उपभोग किया है और उसका बिल सृजित किया गया है । यदि उपभोक्ता उसे भेजे गए बिल का अनुबंधित अवधि के भीतर संदाय करने में उपेक्षा करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी वसूली के लिए अधिनियम में उपबंधित प्रपीड़क तरीकों का आश्रय ले सकता है ।

4.1 धारा की उपधारा (2) के प्रथम भाग में प्रयुक्त "पहली बार देय" शब्दों का प्रयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बिल में गणना की गई राशि के संदर्भ में किया गया है; जबकि धारा 56 की उपधारा (2) के द्वितीय भाग में वह तारीख उपदर्शित की गई है जब अनुज्ञप्तिधारी द्वारा राज्य विद्युत प्रदाय कोड के अधीन लागू पहली बार बिल भेजा जाता है ।

4.2 "पहली बार देय" शब्दों का अर्थ गलती का पता चलने की तारीख समझने से धारा 56(2) द्वारा उपबंधित दो वर्ष की परिसीमा की अवधि की आज्ञा का अनुकरण हो जाएगा, चूंकि गलती का किसी भी समय पता चल सकता है । इसके अतिरिक्त, "प्रभारों के बकाया के रूप में वसूलनीय" शब्द पूर्णतया निरर्थक और व्यर्थ हो जाएंगे ।

4.3 धारा 56(2) के अधीन परिसीमा की अवधि को अनुपूरक बिल भेजकर विस्तारित नहीं किया जा सकता है । मूल बिल में भेजी गई और उपभोक्ता द्वारा संदत्त न की गई "देय राशि" को विद्युत के प्रदाय का वियोजन करने के प्रपीड़क तरीके का आश्रय लेकर इसे वसूलनीय बनाने के लिए इसे पश्चात्वर्ती बिलों में प्रभारों के रूप में लगातार अवश्य दर्शाया जाना चाहिए ।

4.4 यदि मूल मांग से दो वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल बिल में कोई असली या सद्भाविक गलती का पता लगाया गया है, तो वह अनुपूरक बिल भेजने का हकदार होगा । अनुज्ञप्तिधारी कंपनी वसूली के अन्य तरीकों का आश्रय लेने का हकदार होगी, किंतु 2003 के अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन प्रदाय का वियोजन नहीं करेगी ।

**निष्कर्ष और विश्लेषण**

5. विद्युत अधिनियम, 2003 एक उपभोक्ता-अनुकूल कानून है (**टाटा पावर्स** बनाम **रिलायंस एनर्जी**[1] वाला मामला देखें) । अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह उल्लेख किया गया है कि काफी लंबे समय से राज्य विद्युत बोर्डों का संपादन विभिन्न बातों के कारण खराब हो गया है और एक स्वयं-स्पष्ट विस्तृत विधान विरचित करने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत अधिनियम, 2003 का अधिनियमन किया गया ।

5.1 **आंध्र प्रदेश राज्य** बनाम **नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि.**[2] वाले मामले में एक संविधान न्यायपीठ द्वारा विद्युत को "माल" अभिनिर्धारित किया गया है । माल विक्रय अधिनियम, 1930 के अधीन माल का क्रेता इसके क्रय करने या उपभोग करने के समय इसका संदाय करने के लिए दायी है । संदाय की मात्रा और समय को या तो करार द्वारा या सुसंगत कानून द्वारा कार्योत्तर अभिनिश्चित किया जा सकता है । विद्युत के मामले में, प्रभार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार या धारा 62(1)(घ) के अधीन टैरिफ के साथ पठित पक्षकारों के बीच विद्युत प्रदाय करार के अधीन और धारा 50 के अधीन विरचित विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार अभिनिश्चित और वसूल किए जाते हैं ।

5.2 वर्तमान सिविल अपील अधिनियम की धारा 56 के निर्वचन के संबंध में है, जो निम्नलिखित प्रकार से है :-

> "**धारा 56. संदाय के व्यतिक्रम पर प्रदाय का वियोजन** - (1) जहां कोई व्यक्ति विद्युत के लिए किन्हीं प्रभारों या विद्युत के लिए प्रभार से भिन्न किसी राशि को, जो विद्युत के प्रदाय, पारेषण या चक्रण के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी को उस द्वारा देय हो, संदाय करने में उपेक्षा करता है, वहां अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी ऐसे व्यक्ति को पंद्रह पूर्ण दिनों से अन्यून की

---

[1] (2010) 10 एस. सी. सी. 321.

[2] (2002) 5 एस. सी. सी. 203.

लिखित सूचना देने के पश्चात् और ऐसे प्रभार या अन्य राशि को वाद द्वारा वसूल करने के उसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विद्युत के प्रदाय को काट सकेगा और उस प्रयोजन के लिए किसी विद्युत प्रदाय लाइन या अन्य संकर्म को, जो ऐसे अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी की संपत्ति है और जिसके माध्यम से विद्युत का प्रदाय, पारेषण या वितरण या चक्रण किया गया हो, वियोजित कर सकेगा या काट सकेगा तथा प्रदाय को, जब तक ऐसे प्रभार या राशि का, प्रदाय को काटने और पुन:संयोजित करने में उसके द्वारा उपगत व्ययों सहित संदाय नहीं कर दिया जाता, तब तक के लिए बंद रखेगा, किंतु उससे अधिक के लिए नहीं :

परंतु यदि ऐसा व्यक्ति अभ्यापत्ति सहिता –

(क) उससे दावा की गई राशि के बराबर रकम का ; और

(ख) पूर्ववर्ती छह मास के दौरान उसके द्वारा संदत्त विद्युत के लिए औसत प्रभार के आधार पर संगणित प्रत्येक मास के लिए उससे शोध्य विद्युत प्रभारों का,

इनमें से जो भी कम हो, उसके और अनुज्ञप्तिधारी के बीच किसी विवाद का निपटारा होने तक निक्षेप कर देता है, तो विद्युत प्रदाय बंद नहीं किया जाएगा ।

(2) <u>तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन किसी उपभोक्ता से शोध्य कोई राशि उस तारीख से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् तब तक वसूल नहीं की जाएगी जब ऐसी राशि पहली बार देय हुई थी, जब तक कि ऐसी राशि, प्रदाय की गई विद्युत के प्रभारों के रूप में लगातार वसूलनीय दर्शित न की गई हो और अनुज्ञप्तिधारी विद्युत के प्रदाय को नहीं काटेगा ।</u>"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

धारा 56 में विद्युत के प्रभारों के संदाय में व्यतिक्रम करने की दशा में प्रदाय के वियोजन के लिए उपबंध किया गया है । धारा 56 की उपधारा

(1) में यह उपबंधित है कि जहां कोई व्यक्ति विद्युत के लिए "किन्हीं प्रभारों" या विद्युत के लिए प्रभार से भिन्न "किसी राशि" को जो अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी को उसके द्वारा देय हो "संदाय करने में उपेक्षा करता है" तो अनुज्ञप्तिधारी 15 दिन की लिखित सूचना देने के पश्चात् तब तक विद्युत के प्रदाय को वियोजित कर सकेगा जब तक ऐसे देय प्रभारों या राशि का संदाय नहीं किया जाता है, जिसके अंतर्गत उपगत व्यय भी हैं । तथापि, जब रकमों का संदाय कर दिया जाता है तो वियोजन उसके पश्चात् जारी नहीं रह सकता है ।

5.3 किसी उपभोक्ता की विद्युत के प्रभारों का संदाय करने की बाध्यता अनुज्ञप्तिधारी कंपनी द्वारा बिल जारी किए जाने के पश्चात् उद्भूत होती है । बिल में वह समय उपवर्णित होता है जिसके भीतर प्रभारों का संदाय किया जाना है । यदि उपभोक्ता अनुबंधित अवधि के भीतर प्रभारों का संदाय करने में असफल रहता है, तो उन्हें अगले बिल में बकाया के रूप में अग्रेषित किया जाता है ।

5.4 धारा 56(1) के परंतुक में एक अपवाद दिया गया है जिसमें यह उपबंध किया गया है कि यदि उपभोक्ता रकम का या तो "अभ्यापत्ति सहित" निक्षेप कर देता है या पूर्ववर्ती छह मास के दौरान उसके द्वारा संदत्त औसत प्रभारों का निक्षेप कर देता है तो प्रदाय बंद नहीं किया जाएगा ।

5.5 धारा 56 की उपधारा (2) में एक सर्वोपरि खंड के द्वारा यह उपबंध किया गया है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी किसी उपभोक्ता से शोध्य कोई राशि धारा 56 के अधीन उस तारीख से दो वर्ष की अवधि के पश्चात् तब तक वसूल नहीं की जाएगी जब ऐसी राशि "पहली बार देय" हुई थी, जब तक कि ऐसी राशि प्रदाय की गई विद्युत के प्रभारों के बकाया के रूप में लगातार वसूलनीय दर्शित न की गई हो और अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के विद्युत के प्रदाय को बंद नहीं करेगा । **चंदावरकर सीतारत्नराव** बनाम **आशालता एस. गुरम**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा किसी सर्वोपरि खंड के

---

[1] [1987] 2 उम. नि. प. 143 = (1986) 4 एस. सी. सी. 447.

प्रभाव को स्पष्ट किया गया था । यह अभिनिर्धारित किया गया कि :-

> "69. इस अधिनियम अथवा इसके किसी विशेष उपबंध में अथवा अन्य विशेष अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी संविदा में की किसी बात के होते हुए भी अभिव्यक्ति से प्रारंभ होने वाला खंड आरंभिक धारा में जोड़ा जाता है ताकि विरोध होने की दशा में अधिनियम अथवा सर्वोपरि खंड में उल्लिखित संविदा के उपबंध को अध्यारोही प्रभाव प्रदान किया जा सके । यह बात यह कहने के बराबर है कि अधिनियम अथवा सर्वोपरि खंड में उल्लिखित किसी अन्य अधिनियम या किसी संविदा अथवा दस्तावेज में उपबंध के होते हुए भी इसका अनुसरण करने वाली अधिनियमिति पूर्ण रूप से प्रभावी होगी अथवा यह कि सर्वोपरि खंड की परिधि के अंतर्गत आने वाले उपबंध अधिनियमिति के प्रवर्तन में बाधा नहीं बनेंगे ।"
>
> (बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

5.6 संदाय करने का दायित्व विद्युत का उपभोग करने पर उद्भूत होता है । संदाय करने की बाध्यता तब उद्भूत होगी जब संदत्त किए जाने वाले प्रभारों की गणना करते हुए अनुप्तिधारी कंपनी द्वारा बिल जारी किया जाता है । विद्युत के प्रभार "पहली बार देय" केवल तब होंगे जब उपभोक्ता को बिल जारी किया जाता है, यद्यपि संदाय करने का दायित्व विद्युत का उपभोग करने पर उद्भूत हो सकता है ।

6. अगला विवाद्यक यह है कि क्या अधिनियम की धारा 56(2) द्वारा उपबंधित दो वर्ष की परिसीमा की अवधि अतिरिक्त या अनुपूरक मांग पर लागू होगी या नहीं ।

6.1 विद्युत अधिनियम, 2003 प्रवृत्त होने से पूर्व भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 भारत में विद्युत के उपयोग और प्रदाय से संबंधित विधि को शासित करता था । भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 24 निम्न प्रकार से है :-

> "24. प्रभार का संदाय करने में उपेक्षा करने पर उपभोक्ता के प्रदाय का वियोजन - (1) जहां कोई व्यक्ति विद्युत के लिए

किन्हीं प्रभारों या विद्युत के लिए प्रभार से भिन्न किसी राशि को, जो विद्युत के प्रदाय के संबंध में अनुज्ञप्तिधारी को उस द्वारा देय हो, संदाय करने में उपेक्षा करता है वहां अनुज्ञप्तिधारी ऐसे व्यक्ति को सात पूर्ण दिनों से अन्यून की लिखित सूचना देने के पश्चात् और ऐसे प्रभार या अन्य राशि को वाद द्वारा वसूल करने के उसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विद्युत के प्रदाय को काट सकेगा और उस प्रयोजन के लिए किसी विद्युत प्रदाय लाइन या संकर्म को, जो ऐसे अनुज्ञप्तिधारी की संपत्ति है और जिसके माध्यम से विद्युत का प्रदाय किया गया हो, वियोजित कर सकेगा या काट सकेगा तथा प्रदाय को, जब तक ऐसे प्रभार या राशि का, प्रदाय को काटने और पुन:संयोजित करने में उसके द्वारा उपगत व्ययों सहित संदाय नहीं कर दिया जाता, तब तक के लिए बंद रखेगा, किंतु उससे अधिक के लिए नहीं ।

(2) जहां कोई मतभेद या विवाद, जिसे इस अधिनियम द्वारा या इस के अधीन विद्युत निरीक्षक द्वारा अवधारित किया जाना अपेक्षित है, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथा पूर्वोक्त सूचना दिए जाने से पूर्व निरीक्षक को निर्दिष्ट किया गया है, वहां अनुज्ञप्तिधारी इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि निरीक्षक ने अपना विनिश्चय न दिया हो :

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट प्रतिषेध उस दशा में लागू नहीं होगा जिसमें अनुज्ञप्तिधारी ने उपभोक्ता को लिखित में अनुज्ञप्तिधारी के प्रभारों या विवादग्रस्त अन्य राशियों या अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत के अतिरिक्त प्रभारों को, जो प्रोद्भूत होते हैं, विद्युत निरीक्षक के पास निक्षेप करने के लिए अनुरोध किया गया हो, और उपभोक्ता ऐसे अनुरोध का पालन करने में असफल रहा हो ।"

ऊर्जा की स्थायी समिति ने 13वीं लोक सभा को तारीख 19 दिसंबर, 2002 को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में यह राय व्यक्त की थी कि 2003 के अधिनियम की धारा 56 अधिनियम, 1910 की धारा 24 पर आधारित है । स्थायी समिति ने यह भी राय व्यक्त की थी कि उपभोक्ताओं से दो वर्ष से पहले की अवधि से संबंधित बकाया की वसूली

तब तक न करने के लिए एक निर्बंधन जोड़ा गया है, जब तक कि बकाया को लगातार बिलों में दर्शित न किया गया हो । इस निर्बंधन के परिवर्धन को न्यायोचित ठहराते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने यह निवेदन किया कि :–

> "मनमाने बिलों से उपभोक्ताओं की संरक्षा करने के लिए ऐसे निर्बंधन के लिए उपबंध करना आवश्यक समझा गया है ।"

6.2 **स्वास्तिक इंडस्ट्रीज** बनाम **महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने भारतीय विद्युत अधनियम, 1910 की धारा 24 का निर्वचन करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि :–

> "5. इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि प्रभारों को वसूल करने का अधिकार इसका एक भाग है और उस उपभोक्ता के विद्युत के प्रदाय को काटने का अधिकार, जो प्रभारों का संदाय करने में उपेक्षा करता है, इसका एक अन्य भाग है ।"
>
> (बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

6.3 धारा 56 की उपधारा (1) में अनुज्ञप्तिधारी कंपनी को विद्युत के प्रदाय को काटने का कानूनी अधिकार प्रदत्त किया गया है, यदि उपभोक्ता विद्युत के शोध्यों का संदाय करने में उपेक्षा करता है । यह कानूनी अधिकार अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) द्वारा उपबंधित दो वर्ष की परिसीमा की अवधि के अध्यधीन है ।

6.4 दो वर्ष की परिसीमा की अवधि उस तारीख से आरंभ होगी जिस तारीख को विद्युत प्रभार धारा 56 की उपधारा (2) के अधीन "प्रथम बार देय" हुए थे । यह उपबंध उपभोक्ता द्वारा शोध्यों का संदाय न करने के कारण विद्युत प्रदाय को काटने के अनुज्ञप्तिधारी कंपनी के अधिकार को तब तक निर्बंधित करता है, जब तक कि ऐसी राशि पिछली अवधि के लिए प्रदाय की गई विद्युत के बकायों के रूप में भेजे गए बिलों में लगातार वसूलनीय दर्शित न की गई हो । यदि अनुज्ञप्तिधारी कंपनी को राशि के "प्रथम बार देय" होने के दो वर्ष के पश्चात् की परिसीमा अवधि की समाप्ति के पश्चात् विद्युत प्रदाय को काटा जाना

---

[1] (1997) 9 एस. सी. सी. 465.

अनुज्ञात किया जाए, तो इससे धारा 56(2) का उद्देश्य विफल हो जाएगा ।

7. तथापि, धारा 56(2) अनुज्ञप्तिधारी कंपनी को दो वर्ष की परिसीमा अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई अनुपूरक मांग करने से विवर्जित नहीं करती है । इस धारा में शोध्यों का संदाय न करने के कारण दो वर्ष की परिसीमा की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत के प्रदाय को काटने के अधिकार से निर्बंधित किया गया है न कि इसमें वसूली के अन्य साधनों को निर्बंधित किया गया है जो अनुज्ञप्तिधारी कंपनी द्वारा अनुपूरक मांग की वसूली के लिए आरंभ किए जा सकते हैं ।

8. वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूर्वोक्त विनिश्चयाधार को लागू करते हुए, अनुज्ञप्तिधारी कंपनी ने जुलाई, 2009 से सितंबर, 2011 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त मांग तारीख 18 मार्च, 2014 को की थी । अनुज्ञप्तिधारी कंपनी को गलत टैरिफ कोड के अधीन बिल भेजने की गलती का पता तारीख 18 मार्च, 2014 को चला था । धारा 56(2) के अधीन परिसीमा की अवधि तब तक पहले ही समाप्त हो गई थी । धारा 56(2) में किसी गलती या सद्भावी त्रुटि के मामले में परिसीमा की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अतिरिक्त या अनुपूरक मांग करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी कंपनी को विवर्जित नहीं किया गया है । तथापि, इसमें अनुज्ञप्तिधारी कंपनी को अतिरिक्त मांग की वसूली के लिए विद्युत प्रदाय को बंद करने के प्रपीड़क उपाय का आश्रय लेने के लिए सशक्त नहीं किया गया है । परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 17(1)(ग) के अनुसार, किसी गलती की दशा में परिसीमा अवधि उस तारीख से चलना आरंभ होती है जब पहली बार गलती का पता चलता है । **महाबीर किशोर और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

> "परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 17(1)(ग) में यह उपबंधित है कि गलती के आधार पर अनुतोष के लिए वाद के

---

[1] (1989) 4 एस. सी. सी. 1.

मामले में परिसीमा की अवधि तब तक चलनी आरंभ नहीं होती है, जब तक कि वादी को गलती का पता नहीं चला था या युक्तियुक्त तत्परता के साथ इसका पता चल सकता था । ऐसे मामले में जहां संदाय तथ्य की भूल के विपरीत विधि की भूल के अधीन किया गया है, साधारणतया पक्षकार को भूल की जानकारी केवल तब होती है जब कोई न्यायालय विधि की अविधिमान्यता के बारे में घोषणा करता है । यद्यपि किसी पक्षकार को युक्तियुक्त तत्परता से न्यायालय द्वारा ऐसी उद्घोषणा करने से पूर्व भी तथ्य की भूल का पता चल सकता है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है कि किसी व्यक्ति को युक्तियुक्त तत्परता के साथ विधि की भूल का भी पता उस विधि की विधिमान्यता का न्यायनिर्णयन करने वाले निर्णय से पूर्व चल सकता है ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

प्रस्तुत मामले में, परिसीमा की अवधि गलती का पता चलने की तारीख अर्थात् 18 मार्च, 2014 से आरंभ होगी । अनुज्ञप्तिधारी कंपनी अतिरिक्त मांग की वसूली के लिए विधि में उपलब्ध किसी उपचार का आश्रय ले सकती है, किंतु अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के अधीन विद्युत के प्रदाय को बंद करने का आश्रय लेने के लिए वर्जित है ।

9. हम श्री देवाशीष भरुका, अधिवक्ता के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने न्यायमित्र के रूप में इस न्यायालय की भरपूर सहायता की है ।

तद्नुसार, इन सिविल अपीलों का पूर्वोक्त निबंधनों के अनुसार निपटारा किया जाता है ।

सभी लंबित आवेदनों का यदि कोई है, तद्नुसार निपटारा हो जाता है ।

तद्नुसार आदेश किया गया ।

अपीलों का निपटारा किया गया ।

जस.